डा0 आशीष कुमार गोयल
आई.ए.एस.
अध्यक्ष

उत्तर प्रदेश
पावर कार्पोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, अशोक मार्ग
लखनऊ - 226001

संख्या : 871 /रेस्पो/क्वालिटी सेल दिनांक : 28.05.2024

विषय : वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 में पावर/वितरण परिवर्तकों की क्षतिग्रस्तता के सम्बन्ध में।

प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0,
वाराणसी।

उपरोक्त विषयक पत्र सं0–21/रेस्पो/क्वालिटी सेल दिनांक 04.01.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से माह–फरवरी, 2024 को अनुरक्षण माह मनाये जाने के निर्णय के साथ अग्रेतर पावर परिवर्तकों को क्षतिग्रस्तता से बचाये जाने के विस्तृत निर्देश निर्गत किये गये थे।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 में तद्दिनांक तक पूर्वांचल वि0वि0नि0लि0 के अन्तर्गत कुल 06 पावर परिवर्तक क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनका विवरण निम्नवत् है :–

क्रम सं0	क्षेत्र/मण्डल	क्षतिग्रस्त पावर परिवर्तकों की संख्या	क्षमता	क्षतिग्रस्त होने की तिथि
1	आजमगढ/वि0वि0मं0–बलिया	1	8 एम0वी0ए0	18.05.2024
2	गोरखपुर–द्वितीय/वि0वि0मं0–देवरिया	1	5 एम0वी0ए0	18.05.2024
3	मिर्जापुर/वि0वि0मं0–सोनभद्र	1	5 एम0वी0ए0	10.05.2024
4	प्रयागराज–द्वितीय/वि0वि0मं0–प्रतापगढ	2	5 एम0वी0ए0	11.05.2024
5			5 एम0वी0ए0	11.05.2024
6	वाराणसी–द्वितीय/वि0वि0मं0–चन्दौली	1	10 एम0वी0ए0	02.05.2024

आप विदित हैं कि विगत वर्ष में क्षमतावृद्धि, प्रोटेक्शन सिस्टम एवं अनुरक्षण आदि के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करायी जा चुकी है, जिसके उपरान्त भी अधिक मात्रा में पावर परिवर्तक क्षतिग्रस्त हो रहें हैं। अतः आपसे अपेक्षा है कि उपरोक्त पावर परिवर्तकों की क्षतिग्रस्तता का विस्तृत विश्लेषण कर पत्र सं0–21/रेस्पो/क्वालिटी सेल दिनांक 04.01.2024 में निहित निर्देशों के क्रम में उत्तरदायित्व निर्धारण करते हुए आख्या पत्र प्राप्ति से 03 दिवसों के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

साथ ही 100 के0वी0ए0 से अधिक क्षमता के वर्ष 2024–25 में क्षतिग्रस्त 229 नग वितरण परिवर्तकों की क्षतिग्रस्तता का भी विश्लेषण करते हुए पत्रांक–30/रेस्पो/क्वालिटी सेल दिनांक 05.01.2024 में निहित निर्देशों के क्रम में उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कारपोरेशन मुख्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्नक–यथोपरि।

28/5/24

(डा0 आशीष कुमार गोयल)
अध्यक्ष

फोन : 0522 - 2287801, 4048612 । ई मेल : office.chairman@uppcl.org

डा0 आशीष कुमार गोयल
आई.ए.एस.
अध्यक्ष

उत्तर प्रदेश
पावर कार्पोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, अशोक मार्ग
लखनऊ - 226001

संख्या 30 /रेस्पो/क्वालिटी सेल दिनांक : 05/01/, 2024

विषय : वितरण परिवर्तकों की क्षतिग्रस्तता को कम करने व उत्तरदायित्व निर्धारण करने के सम्बन्ध में।

प्रबन्ध निदेशक,
विद्युत वितरण निगम लि0,
पूर्वांचल–वाराणसी/मध्यांचल–लखनऊ
दक्षिणांचल–आगरा/पश्चिमांचल–मेरठ
केस्को–कानपुर।

1. जैसा कि आप अवगत है कि विगत वर्ष माह अक्टूबर' 2023 में सभी प्रकार के अनुरक्षण कार्य पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये थे तथा इसी उद्देश्य से माह अक्टूबर' 2023 को अनुरक्षण माह के रूप में मनाया गया था। उक्त के साथ ही "अतिरिक्त बिजनेस प्लान", "प्रति जनपद 20 करोड़ रूपये" एवं "नगर निगम" से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वितरण परिवर्तकों की क्षमतावृद्धि तथा इनके प्रोटेक्शन उपकरण आदि का अनुमोदन कारपोरेशन स्तर से प्रदान किया जा चुका है।
2. माह–अक्टूबर' 2023 के "अनुरक्षण माह" के अभियान में अनेक कार्य करा लिए गए है परन्तु अभी भी कतिपय स्थानों पर अनुरक्षण कार्य कराया जाना शेष है। अतः कारपोरेशन स्तर पर माह–फरवरी' 2024 को पुनः "अनुरक्षण माह" मनाये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए पृथक से विस्तृत निर्देश जारी किये जा रहे है।
3. चूंकि वितरण परिवर्तक क्षेत्र में गुणवत्तापरक विद्युत आपूर्ति प्रदान करने हेतु सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है अतः इस सम्बन्ध में निम्न निर्देश दिये जाते है :–
   i. अवर अभियन्ता (वितरण) द्वारा पोषकवार 100 केवीए तथा इससे अधिक क्षमता के वितरण परिवर्तकों का चेक लिस्ट (संलग्न) के अनुसार निरीक्षण, माह जनवरी' 2024 में किया जाए तथा अनुरक्षण हेतु कार्य चिन्हित कर लिये जाए तथा साथ ही साथ अनुरक्षण की कार्यवाही भी शुरू कर दी जाये।
   ii. अवर अभियन्ता (वितरण)/उपखण्ड अधिकारी द्वारा समस्त 100 के0वी0ए0 तथा इससे अधिक क्षमता के वितरण परिवर्तकों में निर्धारित मात्रा में तेल होने एवं लोड बैलेंसिंग की जॉच करते हुए अर्थिंग एवं एच0टी0/एल0टी0 प्रोटेक्शन सिस्टम की क्रियाशीलता सुनिश्चित की जाए।
   iii. डिस्काम के अन्तर्गत अधिभारित वितरण परिवर्तकों की क्षमतावृद्धि पूर्व में प्रेषित प्रस्ताव के अनुसार अनुमोदित की जा चुकी है परन्तु फिर भी यदि अन्य 100 के0वी0ए0 तथा इससे अधिक क्षमता के वितरण परिवर्तक आगामी ग्रीष्म ऋतु में अतिभारित होने की आशंका है तो आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कार्यो का तत्काल अनुमोदन करा लें एवं मौके पर कार्य कराया जाये। इसका कार्योत्तर अनुमोदन निदेशक मण्डल से भी तत्काल ले लिया जाए।
   iv. 100 के0वी0ए0 तथा इससे अधिक क्षमता के वितरण परिवर्तकों के लिए अतिभारिता की प्राथमिकता के अनुसार, वितरण परिवर्तकों का डिलिवरी शिड्यूल तैयार कर दिया जाये तथा सभी को अवगत करा दिया जाये, जिससे समस्त तैयारी समय से पूर्व हो जाए।
   v. 100 के0वी0ए0 तथा इससे अधिक क्षमता के सभी वितरण परिवर्तकों के अनुरक्षण तथा प्रोटेक्शन का कार्य माह–फरवरी, 2024 तक पूर्ण कर लिए जाए।
4. अधिशासी अभियन्ता (परीक्षण) तथा उनके अधीनस्थ सहायक अभियन्ता (मीटर) एवं अवर अभियन्ता (मीटर) रैण्डम आधार पर समस्त 100 के0वी0ए0 तथा इससे अधिक क्षमता के वितरण परितर्वकों पर एच0टी0/एल0टी0 प्रोटेक्शन सिस्टम की क्रियाशीलता की जॉच करते हुए अधिशासी अभियन्ता (वितरण) को अवगत करायेगें। अधीक्षण अभियन्ता (वितरण) इस कार्य की स्वयं समीक्षा करेंगे।

फोन : 0522 - 2287801, 4048612 । ई मेल : chairmanuppcl@gmail.com

5. उपखण्ड अधिकारी से मुख्य अभियन्ता (वितरण) तक, 100 के0वी0ए0 तथा इससे अधिक क्षमता के वितरण परिवर्तकों के निरीक्षण के लक्ष्य निर्धारित किये जाए तथा इन अधिकारियों द्वारा माह जनवरी' 2024 व फरवरी' 2024 में इन वितरण परिवर्तको का पर्याप्त संख्या में निरीक्षण सुनिश्चत किया जाये। उपखण्ड अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता (वितरण)/अधीक्षण अभियन्ता (वितरण) के निरीक्षण के लक्ष्य मुख्य अभियन्ता (वितरण) द्वारा निर्धारित किये जाये तथा मुख्य अभियन्ता (वितरण) के लक्ष्य प्रबन्ध निदेशक निर्धारित करेंगे।

6. **100 के0वी0ए0 तथा इससे अधिक क्षमता के वितरण परिवर्तकों की निरीक्षण रिपोर्ट प्रबन्ध निदेशक डिस्कॉम द्वारा प्रतिदिन प्राप्त की जायेगी एवं यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अवर अभियन्ता द्वारा शतप्रतिशत तथा उपखण्ड अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता (वितरण)/अधीक्षण अभियन्ता (वितरण)/मुख्य अभियन्ता (वितरण) द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप निरीक्षण किया जाये।**

7. विगत में पाया गया है कि अधिकांश वितरण परिवर्तक अतिभारिता एवं ससमय अनुरक्षण न कराये जाने के कारण क्षतिग्रस्त होते हैं। अतिभारिता को समाप्त करने हेतु समय–समय पर परिवर्तकों के भार का मापन एवं लोड बैलेंसिंग की कार्यवाही की जाये तथा परिवर्तक पर भार 60 से 70 प्रतिशत होते ही क्षमतावृद्धि की कार्यवाही प्रारम्भ की जाये। इसके अतिरिक्त एल0टी0 लाइन के कारण क्षतिग्रस्तता रोकने हेतु प्रोटेक्शन सिस्टम को क्रियाशील रखा जाये। ससमय इन कार्यो को पूर्ण करने से वितरण परिवर्तक के क्षतिग्रस्त होने का प्रश्न नहीं उठता। इस हेतु यह आवश्यक है कि अनुरक्षण के साथ–साथ उपकेन्द्र के कार्मिकों को पर्याप्त प्रशिक्षण/अभिमुखीकरण भी दिया जाये। यह उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता (वितरण) का होगा कि वह उपकेन्द्र पर तैनात समस्त कार्मिकों को इस सम्बन्ध में पर्याप्त प्रशिक्षण सुनिश्चित करायें।

8. चूंकि वर्ष 2023 में वितरण परिवर्तकों की क्षमतावृद्धि, प्रोटेक्शन सिस्टम एवं अनुरक्षण आदि के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करायी जा चुकी है, अतः यह आवश्यक है कि यह समस्त गतिविधियां समय से पूर्ण कर ली जाये। ऐसे में अब यदि 100 के0वी0ए0 तथा इससे अधिक क्षमता का वितरण परिवर्तक क्षतिग्रस्त होता है तो निम्नानुसार उत्तरदायित्व निर्धारण किया जायेगा।

वितरण परिवर्तक की क्षमता	मुख्य उत्तरदायित्व	पर्यवेक्षणीय उत्तरदायित्व	प्रशासनिक उत्तरदायित्व
100 के0वी0ए0 से 250 के0वी0ए0	अवर अभियन्ता	उपखण्ड अधिकारी	अधिशासी अभियन्ता
400 के0वी0ए0 से 1000 के0वी0ए0	उपखण्ड अधिकारी	अधिशासी अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता

चूंकि समस्त संसाधन पूर्व में ही उपलब्ध कराए जा चुके हैं तथा ग्रीष्म ऋतु में पर्याप्त समय है, इसलिए ऐसा कोई कारण नहीं है कि अनुरक्षण/प्रोटेक्शन कार्य समय पर न हो सके। अतः वितरण परिवर्तक क्षतिग्रस्त होने पर उत्तरदायी कार्मिकों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जाएगी।

संलग्नक :– चेक लिस्ट।

5/1/24

(डा० आशीष कुमार गोयल)
अध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निदेशक (वितरण), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक (तकनीकी), पूर्वांचल–वाराणसी/मध्यांचल–लखनऊ/दक्षिणांचल–आगरा/पश्चिमांचल–मेरठ/केस्को–कानपुर।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), पूर्वांचल–वाराणसी/ मध्यांचल–लखनऊ/ दक्षिणांचल–आगरा/ पश्चिमांचल–मेरठ/ केस्को–कानपुर।
5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता (वितरण), पूर्वांचल–वाराणसी/ मध्यांचल–लखनऊ/ दक्षिणांचल–आगरा/ पश्चिमांचल–मेरठ/ केस्को–कानपुर।
6. समस्त अधिशासी अभियन्ता (वितरण/परीक्षण), पूर्वांचल–वाराणसी/ मध्यांचल–लखनऊ/ दक्षिणांचल–आगरा/ पश्चिमांचल–मेरठ/ केस्को–कानपुर।

डा0 आशीष कुमार गोयल
आई.ए.एस.
अध्यक्ष

उत्तर प्रदेश
पावर कार्पोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, अशोक मार्ग
लखनऊ - 226001

संख्या 21 /रेस्पो/क्वालिटी सेल

दिनांक : 04-01-2024

विषय : पॉवर परिवर्तकों की क्षतिग्रस्तता के बारे में उत्तरदायित्व निर्धारण।

प्रबन्ध निदेशक,
विद्युत वितरण निगम लि0,
पूर्वांचल–वाराणसी/मध्यांचल–लखनऊ
दक्षिणांचल–आगरा/पश्चिमांचल–मेरठ
केस्को–कानपुर।

1. जैसा कि आप अवगत है कि विगत वर्ष माह अक्टूबर 2023 में सभी प्रकार के अनुरक्षण कार्य पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये थे तथा इसी उद्देश्य से माह अक्टूबर 2023 को अनुरक्षण माह के रूप में मनाया गया था। उक्त के साथ ही "अतिरिक्त बिजनेस प्लान", "प्रति जनपद 20 करोड़ रूपये" एवं "नगर निगम" से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत पावर परिवर्तकों की क्षमतावृद्धि, परीक्षण उपकरण, प्रोटेक्शन उपकरण आदि का अनुमोदन कारपोरेशन स्तर से प्रदान किया जा चुका है।
2. माह–अक्टूबर 2023 के "अनुरक्षण माह" के अभियान में अनेक कार्य करा लिए गए है परन्तु अभी भी कतिपय स्थानों पर अनुरक्षण कार्य कराया जाना शेष है। अतः कारपोरेशन स्तर पर माह–फरवरी 2024 को पुनः "अनुरक्षण माह" मनाये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए पृथक से विस्तृत निर्देश जारी किये जा रहे है।
3. चूंकि पावर परिवर्तक एक अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर है, अतः इस सम्बन्ध में निम्न निर्देश दिये जाते है :–
   i. पावर परिवर्तक की क्षमतावृद्धि, विद्युत तंत्र का सुदृढ़ीकरण, सी0टी0, पी0टी0, ब्रेकर एवं रिले की क्रियाशीलता तथा पावर परिवर्तकों के अनुरक्षण सम्बन्धी कार्य माह फरवरी 2024 तक करा लिये जाये। जहाँ पर पावर परिवर्तक की डिलिवरी फरवरी 2024 के बाद सम्भावित है, वहाँ पर समस्त शेष कार्य पहले से पूर्ण कर लिये जाए।
   ii. डिस्काम के अन्तर्गत अधिभारित पावर परिवर्तकों की क्षमतावृद्धि पूर्व में प्रेषित प्रस्ताव के अनुसार अनुमोदित की जा चुकी है परन्तु फिर भी यदि अन्य पावर परिवर्तक आगामी ग्रीष्म ऋतु में अतिभारित होने की आशंका है तो आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कार्यो का तत्काल अनुमोदन करा लें एवं मौके पर कार्य कराया जाये। इसका कार्योत्तर अनुमोदन निदेशक मण्डल से भी तत्काल ले लिया जाए।
   iii. विद्युत उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि के लिए अतिभारिता की प्राथमिकता के अनुसार, पावर परिवर्तक का डिलिवरी शिड्यूल तैयार कर दिया जाये तथा सभी को अवगत करा दिया जाये, जिससे समस्त तैयारी समय से पूर्व हो जाए।
   iv. उपकेन्द्र पर प्रोटेक्शन हेतु लगे Relays का Synchronization इस प्रकार किया जाए कि ट्रिपिंग की आवृत्ति (Frequency) तथा समय न्यूनतम हो साथ ही इसका विद्युत तंत्र पर विपरीत प्रभाव न पड़े।
   v. अधिशासी अभियन्ता (परीक्षण) समस्त उपकेन्द्रों के प्रोटेक्शन सिस्टम की जाँच करते हुए इनको क्रियाशील अवस्था में रखना तथा न्यूनतम ट्रिपिंग हेतु व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

फोन : 0522 - 2287801, 4048612 | ई मेल : chairmanuppcl@gmail.com

vi. अधिशासी अभियन्ता (वितरण) द्वारा भी शत–प्रतिशत उपकेन्द्रों का चेक लिस्ट (संलग्न) के अनुसार निरीक्षण किया जाए।

vii. अधीक्षण अभियन्ता तथा मुख्य अभियन्ता द्वारा भी 20–20 पृथक उपकेन्द्रों का चेक लिस्ट के अनुसार निरीक्षण किया जाए।

4. डिस्काम अपने स्तर से भी पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता (वि0/परि0) को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

5. पावर परिवर्तक एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विद्युत अवस्थापना है जिस पर एक बड़ी धनराशि का निवेश शासन द्वारा किया जाता है। विगत में देखा गया है कि अधिकांश पावर परिवर्तक समुचित अनुरक्षण एवं प्रोटेक्शन सिस्टम के सही से कार्यरत न होने के कारण क्षतिग्रस्त होते हैं। यदि समुचित अनुरक्षण किया जाये तथा प्रोटेक्शन सिस्टम को क्रियाशील रखा जाये तो पावर परिवर्तक के क्षतिग्रस्त होने का प्रश्न नहीं उठता। इस हेतु यह आवश्यक है कि अनुरक्षण के साथ–साथ उपकेन्द्र के कार्मिकों को पर्याप्त प्रशिक्षण भी दिया जाये। यह उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा कि वह उपकेन्द्र पर तैनात समस्त कार्मिकों को इस सम्बन्ध में पर्याप्त प्रशिक्षण सुनिश्चित करायें।

6. चूंकि वर्ष 2023 में क्षमतावृद्धि, प्रोटेक्शन सिस्टम एवं अनुरक्षण आदि के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करायी जा चुकी है, अतः यह आवश्यक है कि यह समस्त गतिविधियां समय से पूर्ण कर ली जाये। ऐसे में अब यदि पावर परिवर्तक क्षतिग्रस्त होता है तो उसमें वरिष्ठ अधिकारियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा तथा सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के विरूद्ध वृहद दण्ड हेतु विभागीय कार्यवाही एवं अधीक्षण अभियन्ता के विरूद्ध भी विभागीय कार्यवाही की जायेगी। यदि किसी वितरण क्षेत्र में अधिक संख्या में पावर परिवर्तक क्षतिग्रस्त होते हैं तो सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता के विरूद्ध भी कार्यवाही की जायेगी ।

संलग्नक– निरीक्षण चेक लिस्ट।

4/1/24

(डा० आशीष कुमार गोयल)
अध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक (वितरण), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. निदेशक (तकनीकी), पूर्वांचल–वाराणसी/मध्यांचल–लखनऊ/दक्षिणांचल–आगरा/पश्चिमांचल–मेरठ/केस्को–कानपुर।
5. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), पूर्वांचल–वाराणसी/ मध्यांचल–लखनऊ/ दक्षिणांचल–आगरा/ पश्चिमांचल–मेरठ/ केस्को–कानपुर।
6. निदेशक (ईटीआई), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड को इस निर्देश के साथ कि उपकेन्द्रों के अनुरक्षण, विशेष रूप से पावर परिवर्तक के अनुरक्षण से सम्बन्धित बुकलेट बनाकर तत्काल समस्त को प्रसारित कराना सुनिश्चित करें।
7. समस्त अधीक्षण अभियन्ता (वितरण), पूर्वांचल–वाराणसी/ मध्यांचल–लखनऊ/ दक्षिणांचल–आगरा/ पश्चिमांचल–मेरठ/ केस्को–कानपुर।
8. समस्त अधिशासी अभियन्ता (वितरण/परीक्षण), पूर्वांचल–वाराणसी/ मध्यांचल–लखनऊ/ दक्षिणांचल–आगरा/ पश्चिमांचल–मेरठ/ केस्को–कानपुर।